

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-1/2018/32/दो-4-2018-32(1)/2017
लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2018
विज्ञप्ति/नियुक्ति

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-270/एस एण्ड ए/2017, दिनांक 24-08-2017 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-303/एस एण्ड ए/2017, दिनांक 07-12-2017 में प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 यथासंशोधित के नियम-18, 20 एवं 21 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (एल0सी0डी0ई0) के माध्यम से चयनित/प्रोन्नत निम्नलिखित अभ्यर्थियों/न्यायिक अधिकारियों को नियम-22(1) की व्यवस्थानुसार रोस्टर के आधार पर व्यवस्थित करते हुए प्रस्तर-3/4/5 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

क्रमांक	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री)	भर्ती का स्रोत
1	अनिल कुमार-IV	(प्रोन्नत)
2	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
3	प्रवीण कुमार सिंह--II	(प्रोन्नत)
4	विपिन कुमार- II	(प्रोन्नत)
5	छाया नैन	(एलसीडीई)
6	अनिल कुमार-V	(प्रोन्नत)
7	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
8	सुरेश चन्द्र- VI	(प्रोन्नत)
9	राजेश कुमार-IV	(प्रोन्नत)
10	मनोज कुमार सिंह-III	(प्रोन्नत)
11	जय प्रकाश	(सीधी भर्ती)
12	नरेश कुमार	(प्रोन्नत)
13	त्रिलोक पाल सिंह	(प्रोन्नत)
14	मनमीत सिंह सूरी	(सीधी भर्ती)
15	राकेश कुमार-VI	(प्रोन्नत)
16	कृष्ण कुमार	(एलसीडीई)
17	श्रीमती संध्या चौधरी	(प्रोन्नत)
18	कमलेश कुमार	(प्रोन्नत)
19	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
20	राजेश कुमार-V	(प्रोन्नत)
21	निर्मल चन्द्र सेमवाल	(प्रोन्नत)
22	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
23	श्रीमती राजेश्वरी टोलिया	(प्रोन्नत)
24	विकास गोयल	(प्रोन्नत)
25	गजेन्द्र	(एलसीडीई)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

26	प्रशान्त मित्तल	(प्रोन्नत)
27	प्रथम कान्त	(सीधी भर्ती)
28	सुश्री शेली रॉय	(प्रोन्नत)
29	कमलेश कुमार पाठक	(प्रोन्नत)
30	हितेन्द्र हरि	(प्रोन्नत)
31	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
32	संदीप गुप्ता	(प्रोन्नत)
33	चन्द्र भान सिंह	(प्रोन्नत)
34	पारूल जैन	(सीधी भर्ती)
35	हर्ष अग्रवाल	(प्रोन्नत)
36	जीतेन्द्र मिश्रा	(एलसीडीई)
37	शैलेन्द्र निगम	(प्रोन्नत)
38	हुमायूँ रशीद खान	(प्रोन्नत)
39	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
40	ब्रह्मतेज चतुर्वेदी	(प्रोन्नत)
41	श्रीमती मोनिका ठाकुर	(प्रोन्नत)
42	अशोक कुमार	(सीधी भर्ती)
43	सर्वेश कुमार पाण्डेय-II	(प्रोन्नत)
44	श्रीमती मृदुला मिश्रा	(प्रोन्नत)
45	पुष्पेन्द्र सिंह	(एलसीडीई)
46	दिनेश तिवारी	(प्रोन्नत)
47	विकास गोस्वामी	(सीधी भर्ती)
48	देव कान्त शुक्ला	(प्रोन्नत)
49	श्रीमती शिक्षा श्रीवास्तव	(प्रोन्नत)
50	श्रीमती पल्लवी अग्रवाल	(प्रोन्नत)
51	सत्येन्द्र नाथ त्रिपाठी	(सीधी भर्ती)
52	इफराक अहमद	(प्रोन्नत)
53	श्रीमती सोनिका चौधरी	(प्रोन्नत)
54	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
55	श्रीमती अनामिका चौहान	(प्रोन्नत)
56	अमित वीर सिंह	(एलसीडीई)
57	श्रीमती ऋचा जोशी	(प्रोन्नत)
58	श्रीमती नीतू पाठक	(प्रोन्नत)
59	रोहित रघुवंशी	(सीधी भर्ती)
60	अभय कृष्ण तिवारी	(प्रोन्नत)
61	केशव गोयल	(प्रोन्नत)
62	(सीधी भर्ती)
63	श्रीमती राखी दीक्षित	(प्रोन्नत)
64	राजेन्द्र राम	(प्रोन्नत)
65	महेशा नन्द झा	(एलसीडीई)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

66	राज मणि	(प्रोन्नत)
67	राकेश पाण्डेय	(सीधी भर्ती)
68	अली रजा	(प्रोन्नत)
69	पद आरक्षित	(प्रोन्नत)
70	विजय कुमार आजाद	(प्रोन्नत)
71	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
72	राजेश कुमार-III	(प्रोन्नत)
73	सुन्दर लाल	(प्रोन्नत)
74	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
75	पद आरक्षित	(प्रोन्नत)
76	मो0 नियाज अहमद अंसारी	(एलसीडीई)
77	मो0 सफीक	(प्रोन्नत)
78	राम दयाल	(प्रोन्नत)
79	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
80	श्रीमती अंजना	(प्रोन्नत)
81	संजीव कुमार सिंह	(प्रोन्नत)
82	जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय	(सीधी भर्ती)
83	पद आरक्षित	(प्रोन्नत)
84	नीतीश कुमार राय	(प्रोन्नत)
85	राजीव महेश्वरम	(एलसीडीई)
86	श्रीमती संध्या श्रीवास्तव	(प्रोन्नत)
87	प्रतीक्षा नागर	(सीधी भर्ती)
88	राकेश कुमार सिंह-I	(प्रोन्नत)
89	प्रेमेन्द्र कुमार	(प्रोन्नत)
90	कु0 निशा श्रीवास्तव	(प्रोन्नत)
91	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
92	भगीरथ वर्मा	(प्रोन्नत)
93	विजय कुमार-II	(प्रोन्नत)
94	रवि करन सिंह	(सीधी भर्ती)
95	मो0 असलम सिद्दीकी	(प्रोन्नत)
96	आलोक द्विवेदी	(एलसीडीई)
97	विकास नागर	(प्रोन्नत)
98	आशीष वर्मा	(प्रोन्नत)
99	सुरेन्द्र कुमार	(सीधी भर्ती)
100	राकेश त्रिपाठी	(प्रोन्नत)
101	अमित मालवीय	(प्रोन्नत)
102	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
103	मो0 अहमद खान	(प्रोन्नत)
104	अभय श्रीवास्तव	(प्रोन्नत)
105	ज्ञानेन्द्र राव	(एलसीडीई)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

106	मुकेश कुमार सिंह-II	(प्रोन्नत)
107	(सीधी भर्ती)
108	अनुतोष कुमार शर्मा	(प्रोन्नत)
109	प्रमोद कुमार-IV	(प्रोन्नत)
110	सुश्री निरूपमा विक्रम	(प्रोन्नत)
111	ध्रुव राय	(सीधी भर्ती)
112	राजीव रंजन	(प्रोन्नत)
113	पवन कुमार श्रीवास्तव	(प्रोन्नत)
114	अजय श्रीवास्तव	(सीधी भर्ती)
115	श्रीमती प्रतिभा सक्सेना-II	(प्रोन्नत)
116	धीरेन्द्र कुमार-II	(एलसीडीई)
117	श्रीमती गरिमा सिंह	(प्रोन्नत)
118	श्रीमती आरती फौजदार	(प्रोन्नत)
119	पवन कुमार शर्मा	(सीधी भर्ती)
120	डा0 सत्यवान सिंह	(प्रोन्नत)
121	राजेश पराशर	(प्रोन्नत)
122	शैलेन्द्र सचान	(सीधी भर्ती)
123	विकास गुप्ता	(प्रोन्नत)
124	श्रीमती कविता मिश्रा	(प्रोन्नत)
125	गगन कुमार भारती	(एलसीडीई)
126	श्रीमती रेशमा परवीन	(प्रोन्नत)
127	मनमोहन सिंह	(सीधी भर्ती)
128	काशीनाथ	(प्रोन्नत)
129	संजय कुमार सिंह-I	(प्रोन्नत)
130	राजेश नारायण मणि त्रिपाठी	(प्रोन्नत)
131	हनी गोयल	(सीधी भर्ती)
132	उमाकान्त जिंदल	(प्रोन्नत)
133	श्रीमती दीपा राय	(प्रोन्नत)
134	रेखा शर्मा	(सीधी भर्ती)
135	श्रीमती अल्पना शुक्ला	(प्रोन्नत)
136	अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र	(एलसीडीई)
137	ज्ञानेन्द्र सिंह यादव	(प्रोन्नत)
138	गौरव कुमार	(प्रोन्नत)
139	जितेन्द्र कुमार द्विवेदी	(सीधी भर्ती)
140	अभिनय कुमार मिश्र	(प्रोन्नत)
141	प्राण विजय सिंह	(प्रोन्नत)
142	अंचल लवानिया	(सीधी भर्ती)
143	अतुल सिंह	(प्रोन्नत)
144	श्रीमती स्वप्ना सिंह	(प्रोन्नत)
145	अमित कुमार पाण्डेय	(प्रोन्नत)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

146	चन्द्र मणि मिश्रा	(प्रोन्नत)
147	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
148	गोपाल तिवारी	(प्रोन्नत)
149	श्रीमती निहारिका चौहान	(प्रोन्नत)
150	अमित सिंह-I	(प्रोन्नत)
151	(सीधी भर्ती)
152	मो0 कमरूज्जमा खान	(प्रोन्नत)
153	सुधाकर राय	(प्रोन्नत)
154	पद आरक्षित	(सीधी भर्ती)
155	संजय मिश्रा	(प्रोन्नत)
156	विष्णु प्रसाद अग्रवाल	(प्रोन्नत)
157	आबिद शमीम	(प्रोन्नत)
158	नीरज गौतम	(प्रोन्नत)
159	विजय कुमार	(सीधी भर्ती)
160	श्रीमती ज्योत्सना सिंह	(प्रोन्नत)
161	अभिषेक पाण्डेय	(प्रोन्नत)
162	सुरेश कुमार गुप्ता	(सीधी भर्ती)
163	अरविन्द मिश्र	(प्रोन्नत)
164	राज बहादुर राम देव यादव	(प्रोन्नत)
165	तरुण कुमार सिंह	(प्रोन्नत)
166	दिवाकर द्विवेदी	(प्रोन्नत)
167	विवेक कुमार	(सीधी भर्ती)
168	श्रीमती अमृता शुक्ला	(प्रोन्नत)
169	श्रीमती शैला	(प्रोन्नत)
170	सुभाष सिंह	(प्रोन्नत)
171	शाकिर हसन	(सीधी भर्ती)
172	राकेश वशिष्ठ	(प्रोन्नत)
173	मृदुल दुवे	(प्रोन्नत)
174	सूर्य प्रकाश सिंह	(प्रोन्नत)
175	आनन्द प्रकाश- III	(प्रोन्नत)
176	नवीन कुमार सिंह	(प्रोन्नत)
177	बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय	(प्रोन्नत)
178	गौरव शर्मा	(प्रोन्नत)
179	चन्द्र विजय श्रीनेत	(प्रोन्नत)
180	कुमार मयंक	(प्रोन्नत)
181	राम प्रताप सिंह राणा	(प्रोन्नत)
182	अखिलेश कुमार	(प्रोन्नत)
183	अगस्त कुमार तिवारी	(प्रोन्नत)
184	श्रीमती शबिस्तां आकिल	(प्रोन्नत)
185	सुशील कुमार- III	(प्रोन्नत)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

186	पवन कुमार शुक्ला	(प्रोन्नत)
187	प्रभा नाथ त्रिपाठी	(प्रोन्नत)
188	विनोद कुमार-V	(प्रोन्नत)
189	चन्द्र शेखर मिश्रा	(प्रोन्नत)
190	श्रीमती साक्षी शर्मा	(प्रोन्नत)
191	प्रमोद कुमार गंगवार	(प्रोन्नत)
192	कुमार प्रशान्त	(प्रोन्नत)
193	हरबंश नरायन	(प्रोन्नत)
194	तबरेज अहमद	(प्रोन्नत)
195	बालकृष्ण एन रंजन	(प्रोन्नत)
196	सुबोध वार्ष्णेय	(प्रोन्नत)
197	श्रीमती कुसुम लता	(प्रोन्नत)
198	राकेश कुमार सिंह-II	(प्रोन्नत)
199	राजीव कुमार पालीवाल	(प्रोन्नत)
200	प्रवीण कुमार पाण्डेय	(प्रोन्नत)
201	अविनाश चन्द्र मिश्र	(प्रोन्नत)
202	रविन्द्र कुमार द्विवेदी	(प्रोन्नत)
203	अभिषेक श्रीवास्तव	(प्रोन्नत)
204	परवेज अख्तर	(प्रोन्नत)
205	आदित्य चतुर्वेदी	(प्रोन्नत)
206	निर्भय नारायण राय	(प्रोन्नत)
207	रविन्द्र कुमार-III	(प्रोन्नत)
208	राधे मोहन श्रीवास्तव	(प्रोन्नत)
209	अभय प्रताप सिंह-I	(प्रोन्नत)
210	श्रीमती नेहा आनन्द	(प्रोन्नत)
211	प्रकाश तिवारी	(प्रोन्नत)
212	सिद्धार्थ सिंह	(प्रोन्नत)
213	रंजीत कुमार	(प्रोन्नत)
214	श्रीमती शाबिह जेहरा	(प्रोन्नत)
215	विनय कुमार सिंह-II	(प्रोन्नत)
216	सुश्री कविता निगम	(प्रोन्नत)
217	रजत वर्मा	(प्रोन्नत)
218	श्रीमती निशा सिंह	(प्रोन्नत)
219	उमेश कुमार-II	(प्रोन्नत)
220	हर्षवर्धन	(प्रोन्नत)
221	डा0 (श्रीमती) रीमा बंसल	(प्रोन्नत)
222	श्रीमती अपर्णा पाण्डेय	(प्रोन्नत)
223	श्रीमती स्नेहा नेगी	(प्रोन्नत)
224	असद अहमद हाशमी	(प्रोन्नत)
225	अच्छे लाल गुप्ता	(प्रोन्नत)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

226	सुबोध सिंह	(प्रोन्नत)
227	अमित कुमार प्रजापति	(प्रोन्नत)
228	दिनेश कुमार चौरसिया	(प्रोन्नत)

- 2- उपर्युक्त सूची के क्रमांक-62 पर अंकित श्री सन्तोष कुमार गौतम, क्रमांक-107 पर अंकित श्री प्रदीप कुमार तथा क्रमांक 151 पर अंकित श्री अमित वर्मा जो सीधी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्राप्त न होने के कारण इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- 3- उपर्युक्त अभ्यर्थियों/न्यायिक अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची अनन्तिम मानी जायेगी तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची पृथक से निर्धारित की जायेगी।
- 4- उपर्युक्त प्रोन्नति/नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय में योजित सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। ऐसे समस्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति सतर्कता जांच के निष्कर्ष के अधीन होगी, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच लम्बित है।
- 5- सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं चरित्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किये जाने से पूर्व की अवधि का कोई प्रतिकूल तथ्य यदि अभ्यर्थी के स्वयं के संज्ञान में नहीं है तो इस आशय के शपथ-पत्र के साथ महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुसार वे यथानिर्दिष्ट स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे। प्रश्नगत अवधि में उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य उनके संज्ञान में है तो इसकी सूचना वे महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 1/18/32(1)/दो-4-2018-32(1)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
विशेष वाहक द्वारा

- (1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-270/एस एण्ड ए/2017, दिनांक 24-08-2017 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-303/एस एण्ड ए/2017, दिनांक 07-12-2017 के सन्दर्भ में सीधी भर्ती के चयनित 29 अभ्यर्थियों में से 26 अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं आवेदन-पत्र मूलरूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, न्याय/विधायी तथा संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (7) सम्बन्धित अभ्यर्थी/न्यायिक अधिकारीगण, द्वारा- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (8) न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग-1
- (9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।